

## फा. संख्या 9-1/2001/एनसीटीई (प्रशासन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् सी-2/10, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया नई दिल्ली - 110016

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2001

संख्या फा. 9-1/2001 एनसीटीई धारा 32 की उपधारा 2 के खण्ड (च) तथा (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) की धारा 14 और 15 के साथ और साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियमावली, 1997 के निमय 7 (4) के साथ पढ़ा जाए, निम्नलिखित विनियमों को संशोधित और आगे संशोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार) (संशोधित) विनियम 2001 बनाए गए हैं:

- (i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धित मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के िया अनुमित) विनियम 1995 ।
- (ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [पत्राचार शिक्षा अथवा मुक्त दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम द्वारा अथवा आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी.एड. डिग्री) या उसके समकक्ष के लिए किसी पाठ्यक्रम को चलाने वाले अथवा चलाने के इच्छुक संस्थानों की मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा किसी नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण को प्रारम्भ करने की अनुमिता विनियम, 1996 ।
- (iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में रनातकोत्तर (एम.एड.) तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में रनातकोत्तर (एम.एड.) के लिए मानक और शर्ती विजियम, 1998 |

क्रुम्बर्गि रहिप्पा १ हायक नियन्नक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिवल लाइन्स, दिल्ली–54

2-189 GI/2001

- (iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र (सी.पी.एड.) शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) तथा शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.पी.एड.) की मान्यता के लिए मानक और शर्तें] विनियम, 1998
- (v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक-बी.एल.एड. की मान्यता के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998
- इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार) (संशोधन) विनियम, 2001 कहा जायेगा ।
- 3. उपर्युक्त विनियमों में प्रत्येक के सामने दर्शायी गई सीमा तक निम्न जोड़ा जाता है:

(3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धित मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित) वेनियम 1995 ।	वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु	(5) पैरा 5 (च) के नीचे निम्न जोड़ा जाएः म (छ)राज्य सरकार एनसीटीई की सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति को अपने विचारों/ सिफारिशों से अवगत कराएगी और समिति, मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय उन विचारों/
	आवेदन करना होगा । (च) उपर्युक्त	विचारा/ सिफारिशों पर विचार करेगी ।

प्रिकटरण प्रशासन) भरत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लादन्य किनी

विनियम 4 के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को शुरू करने और/अथवा दाखिले में वृद्धि करने के लिए आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

(ज) यदि राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण आवेदन पत्र. के पत्रों प्राप्त के होने लिए निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उस पर अगले शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन पत्रों कार्रवाई करते 'समय विचार किया जायेगा । (朝) मान्यता के लिए आवेदन पत्र के विचाराधीन रहने के दौरान राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करं देती/वापिस ले लेती हे तो आवेदन पत्र पर और आगे विचार करने पर तत्काल रोक लगा जाएंगी। (প) यदि मान्यता नामंजूर

ं।हायक नियत्रक (प्रशासम्) ।।। भ रत सरकार, प्रकाशन विमाग सेसेविल लाइन्स, दिल्ली–54

				कर दी जाती है
				तो राज्य
				सरकार द्वारा
				जारी किए गए
				अनापत्ति प्रमाण
				पत्र को व्यपगत
				समझ लिया
				जाएगा।
				(ट) अनापत्ति
				प्रमाण पत्र की
				शर्त सरकारी
				संस्थाओं के
				मामले में लागू
				नहीं होगी ।
2.	14, 5.4.97, 28-9/96	राष्ट्रीय अध्यापक	पैरा 6 (ड.) तथा	पैरा 6 (च) के
	एनसीटीई दिनांक	शिक्षां परिषद्	(च)	नीचे निम्न जोड़ा
	6.2.1997	[पत्राचार शिक्षा	(ड.) अध्यापक	जाएः
		अथवा मुक्त दूरस्थ	शिक्षा में पाठ्यक्रम	(छ) राज्य
		शिक्षा प्रणाली के	या प्रशिक्षण चलाने	सरकार
		माध्यम द्वारा अथवा	की इच्छा रखने	एनसीटीई की
		आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के	वाली ऐसी प्रत्येक	सम्बद्ध क्षेत्रीय
		अतिरिक्त किसी	संस्था को जो 17	समिति को
		अन्य भाध्यम से	अगस्त, 1995 के	अपने विचारों/
		शिक्षा स्नातक की	ठीक पहले नहीं	सिफारिशों से अवगत कराएगी
		उपाधि (बी.एड.	चल रही थी उस	और समिति,
		डिग्री) या <del>उसके</del>	राज्य या संघ	मान्यता के लिए
		समकक्ष के लिए	राज्य क्षेत्र से जहां	आवेदन पत्र पर
		किसी पाठ्यक्रम	संस्था अवस्थित	निर्णय लेते
		को चलाने वाले	हो, अनापत्ति	समय उन
		अथवा चलाने के	प्रमाण पत्र सहित	विचारों/
		इच्छुक संस्थानों की	मान्यता हेतु	सिफारिशों पर
		मान्यता की शर्तों	आवेदन करना	विचार करेगी।
		othelist	होगा ।	

ाहायक नियंत्रक हिस्सिए भारत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

का निर्धारण तथा किसी नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण को प्रारम्भ करने की अनुमति। विनियम, 1996 ।

(च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्थाएं अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

(ज) यदि राज्य सरकार का अनापति प्रमाण आवेदन पत्र. पत्रों के प्राप्त के होने लिए निर्धारित अन्तिम तारीखं के बाद प्राप्त होता है तो उस पर अगले शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन पत्रों करते कार्रवाई समय विचार किया जायेगा । यदि (朝) मान्यता के लिए आवेदन पत्र के विचाराधीन रहने के दौरान राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण रद्दः पत्र कर देती/वापिस ले है तो लेती आवेदन पत्र पर और आगे विचार करने पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी।

यदि

Attellet

गहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

(时)

				मान्यता नामंजूर
		A Company		कर दी जाती है
				तो राज्य
				सरकार द्वारा
				जारी किए गए
				अनापत्ति प्रमाण
				पत्र को व्यपगत
				समझ लिया
				जाएगा ।
				(ट) अनापत्ति
				प्रमाण पत्र की
				शर्त सरकारी
				संस्थाओं के
				मामले में लागू
				नहीं होगी ।
3.	7, 13.2.99/28-	राष्ट्रीय अध्यापक	पैरा 6(ड.) तथा	पैरा 6(च) के
	2/98/एनसीटीई दिनांक	शिक्षा परिषद्	(च)	नीचे निम्न जोड़ा
	29.12.98	[आमने-सामने की	(न् ) शहरामात	जाएः
		शिक्षा प्रणाली के	(ड.) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम	(छ)राज्य
		माध्यम से शिक्षा में	या प्रशिक्षण चलाने	संरकार
		स्नातकोत्तर	की इच्छा रखने	एनसीटीई की
		(एम.एड.) तथा	वाली ऐसी प्रत्येक	सम्बद्ध क्षेत्रीय
		दूरस्थ शिक्षा प्रणाली	संस्था को जो 17	समिति को
		के माध्यम से शिक्षा		अपने विचारों/
		में स्नातकोत्तर	अगस्त, 1995 के	सिफारिशों से
		(एम.एड.) के लिए	ठीक पहले नहीं चल रही थी उस	अवगत कराएगी
		मानक और शर्तें]		और समिति,
		विनियम, 1998 ।	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां	मान्यता के लिए
			संस्था अवस्थित	आवेदन पत्र पर
			हो, अनापत्ति	,निर्णय लेते
			प्रमाण पत्र सहित	समय उन
		15	मान्यता हेतु	विचारों/ सिफारिशों पर

ं।हायक नियंत्रक (प्रशास्त) भ रत 'सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

आवेदन करना विचार करेगी । होगा । (ज) यदि राज्य -(च) उपर्युक्त सरकार का विनियम 5 के अनापत्ति प्रमाण उपविनियम (ख) पत्र. आवेदन के अन्तर्गत पत्रों के प्राप्त मान्यताप्राप्त होने के लिए संस्थाओं द्वारा निर्धारित अन्तिम दाखिले में वृद्धि तारीख के बाद करने के लिए प्राप्त होता है तो अनुमति दिए जाने उस पर अगले संबंधी आवेदन शैक्षणिक सत्र सम्बद्ध क्षेत्रीय के लिए आवेदन समितिं के पास पत्रों पर किया जाएगा और कार्रवाई करते साथ में उस राज्य समय विचार अथवा संघ राज्य किया जायेगा । क्षेत्र से जहां संस्था (朝) यदि अवस्थित हो मान्यता के लिए अनापत्ति प्रमाण आवेदन पत्र के पत्र संलग्न करना विचाराधीन रहने होगा । के दौरान राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर देती/वापिस ले लेती है तो आवेदन पत्र पर और आगे विचार करने पंर रोक तत्काल लगा दी जाएगी।

> राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भारत सरकार, प्रकाशन विशास सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

				(प्) यदि मान्यता नामंजूर कर दी जाती है तो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को व्यपगत समझ लिया जाएगा । (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होगी ।
				मामले में लागू नहीं होगी ।
4.	12, 20.3.99, 28- 3/98-99/एनसीटीई दिनांक 29.12.98	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र (सी.पी.एड.) शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) तथा शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.पी.एड.) की मान्यता के लिए मानक और शर्तें] विनियम, 1998	पेरा ६(ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु	पैरा 6 (च) के नीचे निम्न जोड़ा जाएः (छ)राज्य सरकार एनसीटीई की सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति को अपने विचारों/ सिफारिशों से अवगत कराएगी और समिति, मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय उन विचारों/

ाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग 1सेविल लाइन्स, दिल्ली–54

आवेदन करना होगा ।

(च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापति प्रमाण पन्न संलग्न करना होगा ।

सिफारिशों पर विचार करेगी ।

(ज) यदि राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण आवेदन पत्र. पत्रों के प्राप्त होने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उस पर अगले शेक्षणिक EIY के लिए आवेदन पत्रों पर करते कार्रवाई समय विचार किया जायेगा । (इ।) यदि मान्यता के लिए आवेदन पत्र के विचाराधीन रहने के दौरान राज्य सरकार अनापति प्रमाण तंत्र पत्र VI, देती/वापिस ले तो लेती आवेदन पत्र पर और आगे विचार करने yp रोक तत्काल लगा

3---189 G1/2001

ाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग रेसेविल लाइन्स, दिल्ली–54

				जाएगी ।
				(अ) यदि
				मान्यता नामंजूर
				कर दी जाती है
				तो राज्य
				सरकार द्वारा
				जारी किए गए
				अनापत्ति प्रमाण
				पत्र को व्यपगत
				समझ लिया
				जाएगा ।
				(ट) अनापत्ति
				प्रमाण पत्र की
				शर्त सरकारी
				संस्थाओं के
				मामले में लागू
				नहीं होगी।
5.	12, 20.3.99, 28-	राष्ट्रीय अध्यापक	पैरा ६(ड.) तथा	पैरा 6 (च) के
	4/98-99/एनसीटीई	शिक्षा परिषद्	(च)	नीचे निम्न जोड़ा
	दिनांक 29.12.98	(प्रारम्भिक शिक्षा		जाएः
		स्नातक-बी.एल.एड.	(ड.) अध्यापक	(छ)राज्य
		की मान्यता के	शिक्षा में पाठ्यक्रम	सरकार
		लिए मानक और	या प्रशिक्षण चलाने	एनसीटीई की
		शर्तें) विनियम,	की इच्छा रखने	सम्बद्ध क्षेत्रीय
		1998	वाली ऐसी प्रत्येक	समिति को
			संस्था को जो 17	अपने विचारों/
			अगस्त, 1995 के	सिफारिशों से
			ठीक पहले नहीं	अवगत कराएगी
			चल रही थी उस	और समिति,
			राज्य या संघ	मान्यता के लिए
			राज्य क्षेत्र से जहां	आवेदन पत्र पर
			Time or the	
			संस्था अवस्थित	निर्णय लेते
			हो, अनापत्ति	निर्णय लेते समय उन
				निर्णय लेते

पहार्यक नियंत्रक (प्रशासन) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

आवेदन करना होगा ।

(च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

सिफारिशों पर विचार करेगी ।

(ज) यदि राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण आवेदन पत्र. पत्रों के प्राप्त होने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उस पर अगले शैक्षणिक संत्र के लिए आवेदन पत्रों कार्रवाई करते समय विचार किया जायेगा । यदि (朝) मान्यता के लिए आवेदन पत्र के विचाराधीन रहने के दौरान राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र रद कर देती/वापिस ले 专 लेती तो आवेदन पत्रं पर और आगे विचार करने पर रोक तत्काल लगा दी

राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

जाएगी ।
(अ) यदि
मान्यता नामंजूर
कर दी जाती है
तो राज्य
सरकार द्वारा
जारी किए गए
अनापत्ति प्रमाण
पत्रं को व्यपगत
समझ लिया
जाएगा ।
(ट) अनापत्ति
प्रमाण पत्र की
शर्त सरकारी
संस्थाओं के
मामले में लागू
नहीं होगी ।

ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

एस. के. रॉय) सदस्य सचिव

पहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

F. No. 9-1/2001/NCTE (Admn.) National Council for Teacher Education C-2/10 Safdarjung Development Area New Delhi - 110 016

New Delhi; dated 6th July, 2001

No. F. 9-1/2001 / NCTE - In exercise of the powers conferred under clause (f) and (g) of sub-section (2) of the Section 32 read with Section 14 and 15 of the NCTE Act, 1993 (No. 73, 1993), and further read with Rule 7(4) of the NCTE Rules, 1997 the National Council for Teacher Education hereby makes the National Council for Teacher Education (consideration of No Objection Certificate) (Amendment) Regulations, 2001 to amend / further amend the notifications mentioned below :-

- The National Council for Teacher Education (application for recognition, manner for submission, the determination of condition for recognition of institutions and (i) permission to start new course or training) Regulations, 1995.
- The National Council for Teacher Education (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence (ii) education or distance education including open distance education or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations 1996.
- The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of M.Ed face to face and M.Ed through distance education) (iii) Regulations, 1998.
- The National Council for Teacher Education (norms and conditions for grant of recognition of teacher education programme in Physical Education - C.P.Ed, (iv) B.P.Ed and M.P.Ed) Regulations, 1998.
- The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of Bachelor of Elementary Education - B.El.Ed) Regulations, 1998.  $(\vee)$

These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (consideration of No Objection Certificate) (Amendment) Regulations, 2001.

The following additions are made in the above mentioned Regulations to the extent indicated against each of them :-

> गहायक नियंत्रक (प्रशसिन) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग (सेविल लाइन्स; दिल्ली-54

4/10	William Balance		1 2 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	and the second of the second o
	i Na	Degulations	Existing Provision	Addition made
SI.	Gazette Notification No.	Regulations	Littoding	
No	& Date, Order No. &		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Date		(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	After para 5 (f) the
1.	8, 24.2.96 / 28-11/95	The National	Para 5 (e) & (f)	following shall be
1	NCTE dated 29.12.95	Council for	_	
		Teacher Education	(e) Every	added:-
		(application for	institution	The Cholo
		recognition,	intending to offer a	(g) The State
		manner for	000.00	Government shall
		submission, the	in teacher	make available to
		determination of	education but was	the concerned
		condition for	not functioning	Regional
		recognition of		Committee of
1		institutions and	17 <sup>th</sup> August, 1995,	NCTE its views /
				recommendations
2.		permission to start	oriali	which will be
		new course or	recognition with a	considered by the
		training)	no objection	
		Regulations, 1995.	no objection	1
			certificate from the	
			State or Union	
			Territory in which	
			the institution is	for recognition.
			located.	(L) if NOC of the
				(h) if NOC of the
			(f) Application for	State Government
			permission to start	is received after
			new course or	
			training and / or to	
			increase intake by	receipt of
			recognised	applications, it will
1			institutions under	be considered for
			Regulation 4	processing the
			above shall be	applications for the
			submitted to the	next academic
			Regional	session.
			Committee	
			concerned with no	(i) If during the
			objection	pendency of the
			certificate from the	
			State or union	
				J
			Territory in which	
			the institution is	
			located.	the NOC, further consideration of
				consideration of

भाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग भेरविल लाइन्स, दिल्ली–54

		. I		
				the application will
				be stopped
				forthwith.
				(j) If recognition is
				refused, the NOC
			* *	issued by the State
				Government would
				be deemed to have
			E 8 8	lapsed.
			*	
				(k) Requirement of
				NOC shall not
				apply to
			*	Government
		*.		Institutions.
		71 11-111	Doro 6 (a) and (f)	After para 6 (f) the
2.	14, 5.4.97, 28-9/96	E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Para 6 (e) and (f)	following shall be
	NCTE dated 6.2.1997	Council for	<b>5</b>	added:-
		Teacher Education		auneu
		(determination of		(a) The State
		conditions for		1 (3)
		recognition of		Government shall
		institutions offering	in teacher	make available to
		or intending to		the concerned
		offer through	not functioning	Regional
		correspondence	immediately before	Committee of
		education or		NCTE its views /
		distance education	shall submit	recommendations
		including open	application for	which will b.
		distance education	recognition with a	considered by the
		or any mode other	no objection	Regional
		than face to face	certificate' from	Committee while
		instruction for any	the respective	taking a decision
		course leading to	State Government	on the application
		B.Ed degree or its	or Union Territory	for recognition.
		equivalent and	administration in	
		permission to start	which the	(h) if NOC of the
		any new course or	institution is	State Government
		training)	located.	is received after
		Regulations 1996.		the last date
			(f) Application for	prescribed for
			permission to	receipt of
			increase in intake	applications, it will
			by recognised	be considered for
			institutions under	
				applications for the
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LOUD LOUGHBUILDII (D)	

5-189 GI/2001

325

गहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विशास रिवेल लाइन्स, दिल्ली-54

-					
				of Regulation above shall be submitted to the Regional Committee concerned with nobjection certificate' from the State or union Territory in which the institution is located.	(i) If during the pendency of the application for recognition, the State Government withdraws / cancels the NOC, further
					<ul> <li>(j) If recognition is refused, the NOC issued by the State Government would be deemed to have lapsed.</li> <li>(k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions.</li> </ul>
3.	7,13.2.99 2/98/NCTE 29.12.98	/ 28- dated	The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of M.Ed face to face and M.Ed through distance education) Regulations, 1998.	(e) Every institution intending to offer a	After para 6 (f) the following shall be added:-  (g) The State Government shall make available to the concerned Regional Committee of

भहायक नियंत्रक (त्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

			administration in	
			which the	(h) if NOC of the
	*		institution is	State Government
1			located.	is received after
9			locatoa.	the last date
			(f) Application for	prescribed for
			(f) Application for	receipt of
			permission to	, 000, 1
			increase intake by	applications, it will
			recognised	be considered for
			institutions under	
			Sub Regulation (b)	applications for the
			of Regulation 5	next academic
			above shall be	session.
			submitted to the	
			Regional	(i) If during the
		a 2	Committee	pendency of the
			concerned with	
			'No Objection	recognition, the
			Certificate' from	State Government
			the State or union	withdraws / cancels
			Territory in which	the NOC, further
			the institution is	consideration of
			located.	the application will
			located.	be stopped
				forthwith.
				Toranwian.
				(j) If recognition is
				refused, the NOC
				issued by the State
				Government would
				be deemed to have
			,	
1				lapsed.
1				(14) Dequirement of
				(k) Requirement of
				NOC shall not
				apply to
				Government
				Institutions.
4.	12, 20.3.99, 28-3/98-	The National	Para 6 (e) and (f)	After para 6 (f) the
	99/NCTE dated			following shall be
	29.12.98	Teacher Education	(e) Every	added :-
		(norms and	institution	
1		conditions for	intending to offer a	(g) The State
		grant of	course or training	Government shall
	,	recognition of	1	make available to
		teacher education	education but was	the concerned
				is tal

भाहायक नियंत्रक (जरमचन) [1] भारत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

programme in Physical Education – C.P.Ed, B.P.Ed and M.P.Ed) Regulations, 1998

not functioning immediately before 17th August, 1995, submit shall application for recognition with a 'No Objection Certificate' from the respective State Government or Union Territory administration which the institution located.

(f) Application for permission increase in intake recognised institutions under Sub Regulation (b) Regulation 5 shall above be submitted to the Regional Committee concerned with 'No Objection Certificate' from the State or union Territory in which the institution is located.

Regional
Committee of
NCTE its views /
recommendations
which will be
considered by the
Regional
Committee while
taking a decision
on the application
for recognition.

- (h) if NOC of the State Government received after the last date prescribed for receipt applications, it will be considered for processing the applications for the next academic session.
- (i) If during the pendency of the application for recognition, the State Government withdraws / cancels the NOC, further consideration of the application will be stopped forthwith.
- (j) If recognition is refused, the NOC issued by the State Government would be deemed to have lapsed.
- (k) Requirement of NOC shall not

पहायक नियंत्रक (इंसीसन) । भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग

म रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

			0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i</u>	The second secon
					apply to Government Institutions.
	5	12, 20.3.99, 28-4/98-	The National	Para 6 (e) and (f)	
Ċ.		99/NCTE / dated		I dia o (e) and (i)	After para 6 (f) the
					following shall be
		29.12.98	Teacher Education	(e) Every	/ added :-
			(norms and	institution	
		9	conditions for	intending to offer a	(g) The State
			recognition of		
			Bachelor of		
1			Elementary	education but was	
			Education –	not functioning	Regional
1			B.El.Ed)	immediately before	Committee of
ì			Regulations, 1998	17 <sup>th</sup> August 1995	NCTE its views /
				shall submit	recommendations
		T and the second		application for	
				application for	which will be
1					considered by the
				'No Objection	Regional
				Certificate' from	Committee while
İ		a		the respective	taking a decision
				State Government	on the application
			-	or Union Territory	for recognition
				administration in	for recognition.
			The state of the s		(4) 5 1100 5 11
-					
-	1			institution is	
1	1	*		located.	is received after
1					the last date
		,		(f) Application for	prescribed for
				permission to	receipt of
				increase in intake	
	-		The state of the s		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	1	5 5 5			be considered for
1					processing the
				Sub Regulation (b)	applications for the
				of Regulation 5	next academic
}	- 1	-		above shall be	session.
				submitted to the	1
	-		F	Regional	(i) If during the
				Committee	pendency of the
	.	2		concerned with	application for
		+क्षु <del>व</del>		No Objection	
					recognition, the
		9		ertificate from	State Government
L			1 U	ie State or union	withdraws / cancels
3				erritory in which	the NOC, further
			ti	ne institution is	consideration of
		1	lo		the application will
					be stopped
		4.6			stat
				, 14-1	**

ाहायक नियंत्रक हिर्शासन्। ।। भ रत सरकार, प्रकाशन विभान सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

	forthwith.
	(j) If recognition is refused, the NOC issued by the State Government would be deemed to have lapsed.
	(k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions.

These amendments shall come into force with immediate effect.

(S.K. RAY) MEMBER SECRETARY

पाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विगार सिविल लाइन्स, दिल्ली